# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद ( अजमेर )

पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार गुप्ता ( आर. ए. एस. )
राजस्व प्रकरण संख्या :– 105/2017

उनवान

1. रामकरण पुत्र नानू
2. तेजकरण पुत्र नानू जाति माली निवासी राजगढ हाल 28 आबकारी के पास तारागढ रोड, पुरानी चुंगी अजमेर

–– वादी :– जरियें अधिवक्ता श्री हीरालाल माली

**बनाम**

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नसीराबाद

–– प्रतिवादीगण :–

वाद पत्र बाबत अन्तर्गत धारा 88, 188 राज0 काश्त0 अधि0 1955

–: निर्णय :– दिनांक :– 28.10.21

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम चैनपुरा स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 273/256 खसरा नम्बर 1267, 1331 रकबा 0.35, 0.36 एवं ग्राम राजगढ के खाता संख्या 274/212 खसरा नम्बर 156, 165, 167, 732, 733, 948/3118, 2093, 2094 रकबा 0.06, 0.11, 0.04, 0.03, 0.03, 0.05, 0.23, 0.25 वादीगण की पुश्तैनी आराजीयात है। ग्राम चैनपुरा स्थित खसरा नम्बर में वादी संख्या 2 तेजकरण का नाम सहवन से तेजा अंकन हो गया है जिसे तेजकरण कराया जाना आवश्यक है। तथा चैनपुरा में तेजकरण का नाम छोटू अंकन हो गया है जबकि रेकॉर्ड में तेजकरण है, बोलचाल में तथा प्रेम से छोटू बोलते है, तथा ज्वारा अविवाहित फौत हो चुका है। जिसके भी वारिसान वादीगण ही है किन्तु वादीगण को अलग–अलग पिता नानू व ज्वारा की संतान बताते हुए दोनों का 1/2, 1/2 हिस्सा इन्द्राज कर दिया है जिसे दुरूस्त कराया जाकर सम्पूर्ण रकबा मात्र वादीगण के नाम इन्द्राज किये जाने हेतु निवेदन किया। वादग्रस्त आराजीयात वादीगणकी पुश्तैनी भूमि है, तथा वादीगण के दादा भूरा जिसके दो वारिसान ज्वारा व नानू हुए ज्वारा अविवाहित फौत हो गया, तथा नानू के वादीगण ही वारिसान रहे। ज्वारा अविवाहित नाऔलाद फौत होने [illegible] सम्पूर्ण हिस्से की भूमि वादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.06 17:00:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद ( अजमेर )

Scanned by CamScanner

इन्द्राज होनी चाहिए थी किन्तु वादीगण को ज्वारा व नानू के वारिसान मानते हुए अलग–अलग विरासत को खोल दिया गया। जिसे दुरूस्त कराया जाने हेतु निवेदन किया।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी ने अपना जवाब पेश कर जाहिर किया की खाता संख्या 312, 295 रामकरण , छोटू पि0 ज्वारा 1/2 हिस्सा, रामकरण तेजा पि0 नानू 1/2 हिस्सा दर्ज है। रामकरण व तेजकरण मृतक नानू के पुत्र है। नानू व जवारा दो भाई थे जिसमें से जवारा अविवाहित फौत होने से उसके वारिस रामकरण, तेजकरण जो नानू के पुत्र थे वो ही होने थे, परन्तु तेजकरण की जगह छोटू (बचपन का नाम) दर्ज हो गया तथा इसी खाते में तेजकरण का नाम भी तेजा दर्ज हो गया।

प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गयी।

1. आया आराजी मुतनजा का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण होने से वादीगण दुरूस्ती का अधिकारी है।

——वादी

2. अनुतोष ?

अधिवता वादी ने वाद पत्र के समर्थन में जमाबन्दी संवत 2065–69, 2066 –69, 2041–44, 2053, 2073–76, 2070–73 परिवार राशन कार्ड की प्रति, अंकतालिका की प्रति, पैन कार्ड, पहचान पत्र की प्रति, आधार कार्ड की प्रति, ड्राईविंग लाईसेंस, बैंक पास बुक की प्रति, दस्तावेज प्रस्तुत किये।

वकील वादी ने तेजकरण, रामकरण का साक्ष्य पेश किया एवं प्रतिवादी ने साक्ष्य पेश नहीं होने पर सीधे ही बहस करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन व अनुशीलन किया गया। विद्वान अधिवक्ता वादीगण की बहस पर मनन किया।

तनकी संख्या :– 01

वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी संवत 2065–69, 2066 –69, 2073–76, 2070–73 में रामकरण छोटू पि0 जवारा तथा रामकरण, तेजा पि0 नानू अंकित है। जमाबन्दी संवत 2041–44 में जवारा वल्द भूरा, रामकरण, तेजा पि0 नानू, रामकरण, छोटू पि0 जवारा अंकित है। जबकि राशन कार्ड अंक तालिका, पैन कार्ड, पहचान पत्र, आधार कार्ड में तेजकरण पि0 नानूराम अंकित है। अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर वादी संख्या 2 का नाम तेजा व छोटू के स्थान पर तेजकरण अंकित किया जावे। साथ ही जवारा अविवाहित फौत होने के बाद उसकी विरासत दर्ज करते समय वादीगण के नाम के साथ पिता का नाम जवारा अंकित कर दिया जबकि वादीगण के

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.06 17:00:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद ( अजमेर )

Scanned by CamScanner

ना का नाम नानू है तथा ज्वारा नानू का भाई है। अतः हाल इन्द्राज में ज्वारा की विरासत में दीगण के पिता का नाम नानू दर्ज करना उचित होगा।

अतः चैनपुरा के खाता संख्या 273/256 खसरा नम्बर 1267, 1331 रकबा 0.35, 0.36 एवं ग्राम राजगढ के खाता संख्या 274/212 खसरा नम्बर 156, 165, 167, 732, 733, 948/3118, 2093, 2094 रकबा 0.06, 0.11, 0.04, 0.03, 0.03, 0.05, 0.23, 0.25 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। उक्त आराजी के हाल जमाबन्दी में दर्ज अंकन के स्थान पर रामकरण, तेजकरण पुत्र नानू को खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार अमल दरामद की कार्यवाही करें। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28.10.21 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.06 17:00:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner